उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-107/2018/2086/92-2-2018-161जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 09 अगस्त 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद कानपुर में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना से संबंधित निर्माण कार्यो के अनुबंधों के गठन में व्यापक अनियमितता करने, अपने पद एवं दायित्वों के अनुसार दर विश्लेषण एवं रोड मेटल रेट (आर0एम0आर0) स्वीकृत न करने, आई0टी0बी0 के प्रस्तर-25 के अनुसार बिड सिक्योरिटी एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी का सत्यापन न कराने, ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि कर फर्जी पासबुकों के आधार पर अनुबंध गठित किये जाने, जिसमें कुल रू0 14,56,000.00 की शासकीय क्षति अर्न्तनिहित है, के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के के कारण श्री राजेश कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-फैजाबाद को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में ससमय उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-107/2018/2086(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र **(संलग्नक सहित)** मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री राजेश कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in